



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05102026-276799
CG-MH-E-05102026-276799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5107]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5107]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5314(अ).— द्वारा केन्द्र सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से “वडोदरा - गेरतपुर सेक्शन: “एल. सी. संख्या-246, कि. मी. 412/4-6 को रोड ओवर ब्रिज बनाकर बंद करना”, को भूमि अधिग्रहण के हेतु लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.

[फा. सं. ई- 660866]

सुधीर आर. दुबे, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5314(E).— In exercise of the powers conferred to competent authority by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Vadodara-Geratpur Section:- Elimination of LC No.246 at Km 412/4-6 by providing Road Over Bridge”, as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. E - 660866]

SUDHIR R DUBE, Chief project manager (Gati sakti)